



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक-14.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Rajeev Chandrasekhar** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 759 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	GUNANTH GOWDA B	B C BETTA SWAMY, EMAIL- GUNANTHRITESH1217@GMAIL.COM	II	NO.1, JALLAHALLI, BENGALURU
2	SYED MOHAMMED HIBBAAN	SYED FANUS, MOB- 9856022641	II	MEG CENTRE, BENGALURU
3	ARAV HOLLAM M	M PRADEEP KUMAR, MOB- 9243416935	I	ASC CENTRE, BENGALURU
4	MAHADEVE GOWDA M	VARNIKA MR, MOB- 91-7483017998	II	MALLESHWARAM, BENGALURU
5	ROHINTH GOWDA MG	M.G GIRISH, EMAIL- GIRISH8118@GMAIL.COM	I	MYSORE
6	KRISHA V	UMESH P, 9449628264	I	MYSORE
7	N BINDU	K. NAGRAJ, 9945146449	II	HEBBAL, BENGALURU
8	Y R ANARGHYA	YS RAVINDRA, MOB- 9449867605	I	HEBBAL, BENGALURU
9	S NIRIKSHA	S.T SIDDALINGA SWAMY, 8548932592	I	HEBBAL, BENGALURU
10	R HITIKSHA	K. RAVI, MOB- 9972155114	I	MEG CENTRE, BENGALURU

पिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) **विद्यार्थी**, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय **विद्यालय** को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त **विद्यार्थी** के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पि. य. ठाकुर
14/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. **Shri Rajeev Chandrasekhar** माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **BENGALURU** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित **विद्यालय** को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)